(3)

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक ..../2015

आदेश सं० 2/वि.60–160/2013(खण्ड–1)–16/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य की कला–संस्कृति (चाक्षुष एवं प्रदर्श कला) को संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने हेतु डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन योजना का कार्यान्वयन किया जाता है।

2. डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन से संबंधित गाईड लाईन (अनुलग्नक–1) में निहित दिशा–निर्देश के अनुसार ही डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

4. उक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 217/ पटना, दिनांक 27/11/2015

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार को इस निदेश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश एवं संलग्न गाईड–लाईड को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अनु0–यथोक्त।

27.11.15
(सुबोध कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(177)

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन हेतु गाईड लाईन

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा राज्य की कला–संस्कृति (चाक्षुष एवं प्रदर्श कला) को संरक्षित एवं संबंर्द्धित करने हेतु डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जायेगा।

1. डॉक्यूमेंटेशन एवं पब्लिकेशन, ऑडियो विडियो एवं प्रिंट (प्रकाशन) के माध्यम से होगा।
2. डॉक्यमेंटेशन का विषय विभाग निर्धारित कर विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा अथवा किसी विशेष प्रस्ताव पर समिति के विचारोपरांत प्रधान सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर कार्रवाई किया जा सकेगा।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक को अपना जीवनवृत और अपनी पूर्व की रचना, संपादित सामग्री कृत ऑडियो, विडियो, डॉक्यूमेंटेशन आदि अनुभव के रुप में संलग्न करना होगा।
4. डॉक्यूमेंटेशन/पब्लिकेशन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नवत् होगा :–

1.	प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	–	अध्यक्ष	–	पदेन
2.	संयुक्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	–	सदस्य	–	पदेन
3.	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	–	सदस्य सचिव	–	पदेन
4.	सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी	–	सदस्य	–	पदेन
5.	सचिव, बिहार ललित कला अकादमी	–	सदस्य	–	पदेन
6.	सहायक निदेशक (संस्कृति)	–	सदस्य	–	पदेन
7.	चाक्षुष/प्रदर्श कला/साहित्य से कुल चार मर्मज्ञ	–	सदस्य		

नामित गैर सरकारी सदस्यों की कार्यअवधि दो वर्षो की होगी।

5. संबंधित पाण्डुलिपि के मुद्रण एवं ऑडियो–विडियो डॉक्यूमेंटेशन के स्क्रिप्ट पर समिति के अनुमोदनोपरांत निर्णय लिये जायेंगे। प्राप्त प्रस्ताव/पाण्डुलिपि/स्क्रिप्ट पर समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वोपरि होगा।
6. चयनित पुस्तकों के लेखक/संपादक को पुस्तक के लेखन/संपादन कार्य हेतु ₹ 10,000/– (दस हजार) रुपये मात्र मानदेय दिये जायेंगे। मुद्रण का कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर कराया जाएगा।
7. ऑडियो/विडियो डॉक्यूमेंटेशन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निर्धारित दर एवं शर्तों पर कराये जायेंगे। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा वृतचित्रों/फिल्मों/स्पॉट/ऑडियो जिंगल्स एवं अन्य ऑडियो–विडियो निर्माण के निमित्त समय–समय पर अधिसूचित दर एवं शर्तें मान्य होंगे।

(176)

8. विज्ञापन वित्तीय वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों पर समिति की बैठक कर अंतिम निर्णय प्रकाशन/ऑडियो–विडियो का कार्यादेश निर्गत किये जा सकेंगे।
9. चिन्हित लोक संस्कृतियों के संरक्षण हेतु उनका डॉक्यूमेंटेशन उस विधा के यथासम्भव मूल कलाकारों की प्रस्तुतियों से कराया जायगा।
10. ऑडियो/विडियो डॉक्यूमेंटेशन के किसी विशेष Project के लिए जो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिसूचित परिपत्र से इतर हो की राशि एवं शर्तें उक्त समिति द्वारा निर्धारित कि जायेगी तथा तदनुसार संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान के साथ एकरारनामा किया जायगा।
11. पत्रिका के लिए प्रत्येक आलेख पर रचनाकार को मानदेय ₹ 500/– तथा चित्रों के लिए प्रतिचित्र ₹ 150/–की व्यवस्था की जायगी। पत्रिका में संबंधित आलेखकर्त्ता, फोटोग्राफर, चित्रकार का नाम अंकित किया जायगा।
12. मासिक पत्रिका के संपादन हेतु कार्यकारी संपादक नियुक्त किये जा सकेंगे, जिन्हें प्रतिमाह संपादन कार्य का मानदेय तथा पत्रिका के लिए आवश्यक आलेख, चित्रों आदि के लिए ₹ 10,000/–(दस हजार) उपलब्ध कराया जायगा।
13. कार्यकारी सम्पादक उपरोक्त कंडिका–11 के अनुसार आलेखकर्त्ता एवं फोटोग्राफर/चित्रकार एवं स्वयं का मानदेय कंडिका 12 की राशि से प्राप्त करेंगे तथा विपत्र उपलब्ध करायेंगे।
14. पत्रिका के कार्यकारी सम्पादक का चयन विज्ञापन के आधार पर इच्छुक लेखक/सम्पादक से आवेदन प्राप्त कर कंडिका–'4' की समिति द्वारा की जायगी।
15. प्रकाशन/मुद्रण हेतु निविदा आवश्यकतानुसार प्रकाशित कर विभागीय क्रय समिति द्वारा मुद्रण के गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए चयनित किया जायगा।
16. प्रकाशन एवं ऑडियो/विडियो डॉक्यूमेंटेशन में लुप्त होती विधाओं के संरक्षण तथा सम्वर्द्धन को प्राथमिकता दिया जायगा।

11/9/15

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार

455 N L-6